

Specific Relief Act, 1963

02

Chapter 1 - 2

विविर्द्ध अनुतोष –
अधिनियम, 1963

SECTION (15 - 25)



#Judiciary

DOWNLOAD UMMEED CLASSES APP

POONAM SHA



विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 Specific Relief Act, 1963



UMMEED
LAW CLASSES



UMMEED LAW CLASSES



PARTS

PART	Particulars	Sections
1	Part I PRELIMINARY	1-4
2	Part II SPECIFIC RELIEF	✓ 5-35
3	Part III PREVENTIVE RELIEF	36-44





CHAPTERS

CHAPTER	Particulars	Sections
1	RECOVERING POSSESSION OF PROPERTY सम्पति के कब्जे का प्रत्युद्धरण	5-8
2	SPECIFIC PERFORMANCE OF CONTRACTS संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन	9-25
3	RECTIFICATION OF INSTRUMENTS लिखतों की परिशुद्धि	26
4	RESCISSIION OF CONTRACTS संविदाओं का विखंडन	27-30
5	CANCELLATION OF INSTRUMENTS लिखतों का रद्दकरण	31-33





CHAPTER	Particulars	Sections
6	DECLARATORY DECREES घोषणात्मक डिक्रियां	34-35
7	INJUNCTIONS GENERALLY व्यादेश साधारणतः	36-37
8	PERPETUAL INJUNCTIONS शाश्वत व्यादेश	38-44

UMMEED
LAW CLASSES





CHAPTER 02

SPECIFIC PERFORMANCE OF CONTRACTS

संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन

(09-25)

UMMEED
LAW CLASSES





वे व्यक्ति जिनके पक्ष में या विरुद्ध संविदाएं
विनिर्दिष्टतः प्रवर्तित की जा सकेंगी

**Persons for or against whom contracts may be
specifically enforced**

(15-19)

UMMEED
LAW CLASSES





15. कौन विनिर्दिष्ट पालन अभिप्राप्त कर सकेगा -

इस अध्याय में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन अभिप्राप्त किया जा सकेगा
(क) उसमें के किसी भी पक्षकार द्वारा ;

(ख) उसमें के किसी भी पक्षकार के हित-प्रतिनिधि या मालिक द्वारा :

15. Who may obtain specific performance -

Except as otherwise provided by this Chapter, the specific performance of a contract may be obtained by :

- (a) any party thereto;
- (b) the representative in interest or the principal, of any party thereto :





परन्तु जहां कि ऐसे पक्षकार की विदवत्, कौशल, शोधन श्रमता या कोई वैयक्तिक गण संविदा का तात्त्विक अंग हो या जहां कि संविदा उपबन्ध करती हो कि उसका हित समनुदेशित नहीं किया जाएगा, वहां उसका हित-प्रतिनिधि या उसका मालिक संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कराने का हकदार न होगा, जब तक कि ऐसे पक्षकार ने संविदा के अपने भाग का विनिर्दिष्ट पालन पहले ही न कर दिया हो या उसके हित-प्रतिनिधि या उसके मालिक द्वारा किया गया उसका पालन दूसरे पक्षकार द्वारा पहले ही प्रतिगृहीत न किया जा चुका हो;

Provided that where the learning, skill, solvency or any personal quality of such party is a material ingredient in the contract, or where the contract provides that his interest shall not be assigned, his representative in interest or his principal shall not be entitled to specific performance of the contract, unless such party has already performed his part of the contract, or the thereof by his representative in interest, or his principal, has been accepted by the other party;





(ग) जहां कि संविदा विवाह पर का व्यवस्थापन या एक ही कुटुम्ब के सदस्यों के बीच संदेहपूर्ण अधिकारों का कोई समझौता हो, वहां तद्धीन फायदा पाने के हकदार किसी भी व्यक्ति द्वारा

(घ) जहां कि किसी आजीवन अभिधारी द्वारा किसी शक्ति के सम्यक् प्रयोग में कोई संविदा की गई हो, वहां शेष भोगी द्वारा;

(ड) सकृज्ञा उत्तरभोगी द्वारा, जहां कि करार ऐसी प्रसंविदा हो जो उसके हक पूर्वाधिकारी के साथ की गई हो और उत्तरभोगी उस प्रसंविदा के फायदे का हकदार हो ;

(c) where the contract is a settlement on marriage, or a compromise of doubtful rights between members of the same family, any person beneficially entitled thereunder;

(d) where the contract has been entered into by a tenant for life in due exercise of a power, the remainder man;

(e) a reversioner in possession, where the agreement is a covenant entered into with his predecessor in title and the reversioner is entitled to the benefit of such covenant;





(च) शेष के उत्तरभोगी द्वारा, जहां
कि करार वैसी प्रसंविदा हो, और
उत्तरभोगी उसके फायदे का हकदार
हो, उसके भंग के कारण तात्त्विक
क्षति उठाएगा; *Odil-2018*

[(चक) जब किसी सीमित दायित्व
भागीदारी ने कोई करार किया है और
तत्पश्चात् अन्य सीमित दायित्व
भागीदारी कंपनी में समामेलित हो
जाती है, वहां उस नई सीमित
दायित्व भागीदारी द्वारा, जो
समामेलन से उत्पन्न होती है।]

(f) a reversioner in remainder, where
the agreement is such a covenant, and
the reversioner is entitled to the
benefit thereof and will sustain
material injury by reason of its breach;
(fa) when a limited liability partnership
has entered into a contract and
subsequently become amalgamated
with another limited liability
partnership, the new limited liability
partnership which arises out of the
amalgamation.]





(छ) जबकि किसी कम्पनी ने संविदा की हो और तत्पश्चात् वह किसी दूसरी कम्पनी में समामेलित हो गई हो, तब उस समामेलन से उद्भूत नई कम्पनी द्वारा ;

(ज) जबकि किसी कम्पनी के सम्प्रवर्तकों ने उसके निगमन के पहले कम्पनी के प्रयोजनों के लिए कोई संविदा की हो और संविदा निगमन के निबन्धनों द्वारा समर्थित हो तब उस कम्पनी द्वारा : परन्तु यह तब जबकि कम्पनी ने संविदा को प्रतिगृहीत कर लिया हो और संविदा के दूसरे पक्षकार को ऐसा प्रतिग्रहण संसूचित कर दिया हो।

(g) when a company has entered into a contract and subsequently becomes amalgamated with another company, the new company which arises out of the amalgamation;

(h) when the promoters of a company have, before its incorporation, entered into a contract for the purposes of the company, and such contract is warranted by the terms of the incorporation, the company : Provided that the company has accepted the contract and has communicated such acceptance to the other party to the contract.



RPSC APO 2024



TEST SERIES

हृष्ट परीक्षा पैटर्न पर आधारित

Prelim Exam

Law + Language

WITHOUT DETAILED VIDEO SOLUTIONS

पेपर से पहले 100 बार पेपर जैसी तैयारी

इस बार सिलेक्शन परफ़ा

100
TEST
SERIES



#hinglish

By Poonam Sha





16. अनुतोष का व्यक्तिकृत वर्जन -

किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन किसी व्यक्ति के पक्ष में प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता --

(क) जिसने धारा 20 के अधीन संविदा का प्रतिस्थापित पालन अभिप्राप्त कर लिया है;

या
 (ख) जो संविदा के अत्यावश्यक निबंधन जिसका उसकी ओर से पालन किया जाना बाकी हो, का पालन करने में असमर्थ हो गया हो या उसका अतिक्रमण करे या संविदा के प्रति कपट का कार्य करे. या संविदा द्वारा स्थापित किये जाने के लिये आशयित संबंध, से विसंवादी या का ध्वसंक कार्य जानबूझकर करे; या

16. Personal bars to relief

Specific performance of a contract cannot be enforced in favour of a person--

(a) who has obtained substituted performance of contract under section 20; or

(b) who has become incapable of performing, or violates any essential term of, the contract that on his part remains to be performed, or acts in fraud of the contract, or wilfully acts at variance with, or in subversion of, the relation intended to be established by the contract; or





(ग) जो यह साबित करने में विफल रहे कि संविदा के अत्यावश्यक निबंधन जो उसके द्वारा पालन किये जाने हैं, का उसने पालन कर दिया है या पालन करने को सदा तैयार और रजामंद रहा है, उन निबंधनों से भिन्न जिनका पालन प्रतिवादी द्वारा निवारित या अधित्यक्त किया गया है।

Smt. राजरानी शस्तीन V. गुरुदेव

स्पष्टीकरण खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिये :-

- (i) जहाँ किसी संविदा में धन का संदाय अन्तर्वलित हो, वादी के लिये यह आवश्यक नहीं है कि कोई धन वास्तविक रूप में प्रतिवादी को निविदान करे या न्यायालय में निक्षेप करे सिवाय जबकि न्यायालय द्वारा ऐसा निर्देशित किया गया हो;
- (ii) वादी को संविदा का शुद्ध अर्थान्वयन के अनुसार पालन कर लेना, या पालन करने को तैयार तथा रजामंद होना साबित करना होगा।

(c) who fails to prove that he has performed or has always been ready and willing to perform the essential terms of the contract which are to be performed by him, other than terms the performance of which has been prevented or waived by the defendant.

Explanation-- For the purposes of clause (c):-

(i) where a contract involves the payment of money, it is not essential for the plaintiff to actually tender to the defendant or to deposit in court any money except when so directed by the court;

(ii) the plaintiff must prove performance of, or readiness and willingness to perform, the contract according to its true construction.





17. सम्पत्ति को विक्रय करने या पट्टे पर देने की संविदा ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसका उस पर कोई हक नहीं, विनिर्दिष्टः प्रवर्तनीय नहीं -

(1) किसी स्थावर सम्पत्ति के बेचने अथवा पट्टे पर देने की संविदा ऐसे विक्रेता अथवा पट्टाकर्ता के पक्ष में विनिर्दिष्टः प्रवर्तित नहीं कराई जा सकती -

(क) जिसने यह जानते हुए कि उस सम्पत्ति पर उसका हक नहीं है उसे बेचने की या पट्टे पर देने की संविदा की हो ;

17. Contract to sell or let property by one who has no title, not specifically enforceable.-

(1) A contract to sell or let any immovable property cannot be specifically enforced in favour of a vendor or lessor-

(a) who, knowing himself not to have any title to the property, has contracted to sell or let the property;






(क) जिसने यह जानते हुए कि उस सम्पत्ति पर उसका हक नहीं है उसे बेचने की या पट्टे पर देने की संविदा की हो ;

(ख) जिसने यद्यपि इस विश्वास के साथ संविदा की थी कि सम्पत्ति पर उसका अच्छा हक है, तथापि जो विक्रय के या पट्टे के पूरा करने के लिए पक्षकारों या न्यायालय द्वारा नियत किए गए समय पर क्रेता या पट्टेदार को युक्तियुक्त शंका से रहित हक नहीं दे सकता।

(2) उपधारा (1) के उपबन्ध, जंगम सम्पत्ति के विक्रय या अविक्रय की संविदाओं को भी यावत्शक्य लागू होंगे।

(b) who, though he entered into the contract believing that he had a good title to the property, cannot at the time fixed by the parties or by the court for the completion of the sale or letting, give the purchaser or lessee a title free from reasonable doubt.

(2) The provisions of sub-section (1) shall also apply, as far as may be, to contracts for the sale or hire of movable property.





18. फेरफार किए बिना अप्रवर्तन जहां कि वादी ऐसी किसी लिखित संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कराना चाहता है, जिसमें प्रतिवादी फेरफार होना अभिकथित करता है, वादी ऐसे अभिकथित फेरफार के बिना निम्नलिखित दशाओं में अभिप्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात् :-

18. Non-enforcement except with variation.-

Where a plaintiff seeks specific performance of a contract in writing, to which the defendant sets up a variation, the plaintiff cannot obtain the performance sought, except with the variation so set up, in the following cases, namely:-





(क) जहां कपट, तथ्य की भल या दुर्व्यपदेशन द्वारा लिखित संविदा जिसका पालन ईप्सिट है उसके निबन्धनों या प्रभाव में उससे भिन्न है जिससे कि पक्षकारों ने करार किया था या पक्षकारों के मध्य करारित समस्त निबन्धन जिनके आधार पर प्रतिवादी ने संविदा की थी, अन्तर्विष्ट न हों;

(ख) जहां पक्षकरों का उद्देश्य कलिपय विधिक परिणाम उत्पन्न करना था जो यथा विरचित संवेदा से उत्पन्न होना परिकल्पित न हो;

(ग) जहां पक्षकरों ने संविदा के निष्पादन में तत्पश्चात् उसके निबन्धनों में फेरफार कर दिया हो।

(a) where by fraud, mistake of fact or misrepresentation, the written contract of which performance is sought is in its terms or effect different from what the parties agreed to, or does not contain all the terms agreed to between the parties on the basis of which the defendant entered into the contract;

(b) where the object of the parties was to produce a certain legal result which the contract as framed is not calculated to produce;

(c) where the parties have, subsequently to the execution of the contract, varied its terms.



FASTRACK TEST SERIES

RJS/APO

हृष्ट परीक्षा पेटर्न पर आधारित


Hindi + English

30 / 30
अंक पक्के

With / Without Video Solution

पेपर से पहले 100 बार पेपर जैसी तैयारी

इस बार सिलेक्शन परका





19. पक्षकारों एवं उनसे अधीन पश्चात्वर्ती हक द्वारा दावा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अनुतोष -

इस अध्याय द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का प्रवर्तन निम्नलिखित के विरुद्ध कराया जा सकेगा -

- (क) उसमें का कोई पक्षकार ; ✓
- (ख) ऐसे मूल्यार्थ अन्तरिती के सिवाय, जिसने अपना धन सदभावपूर्वक तथा मूल संविदा की सूचना के बिना दिया हो, ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति, जो उससे व्युत्पन्न ऐसे हक के अधीन दावा कर रहा हो जो संविदा के पश्चात् उद्भूत हुआ हो ;

19. Relief against parties and persons claiming under them by subsequent title.-

Except as otherwise provided by this Chapter, specific performance of a contract may be enforced against-

- (a) either party thereto;
- (b) any other person claiming under him by a title arising subsequently to the contract, except a transferee for value who has paid his money in good faith and without notice of the original contract;





(ग) ऐसा कोई व्यक्ति जो ऐसे हक के अधीन दावा कर रहा हो जो हक, यद्यपि संविदा के पहले का और वादी की जानकारी में था, तथापि प्रतिवादी द्वारा विस्थापित किया जा सकता था

(गक) जब किसी सीमित दायित्व भागीदारी ने कोई करार किया है और तत्पश्चात् अन्य सीमित दायित्व भागीदारी कंपनी में समामेलित हो जाती है, वहां उस नई सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा, जो समामेलन से उत्पन्न होती है।

(c) any person claiming under a title which, though prior to the contract and known to the plaintiff, might have been displaced by the defendant; 2012

(ca) ~~when~~ a limited liability partnership has entered into a contract and subsequently become amalgamated with another limited liability partnership, the new limited liability partnership which arises out of the amalgamation.






(घ) जबकि किसी कम्पनी ने कोई संविदा की हो और उसके पश्चात् किसी दूसरी कम्पनी से समामेलित हो गई हो तब ऐसे समामेलन से उद्भूत नई कम्पनी ;

(ड.) जबकि किसी कम्पनी के सम्पर्कतकों ने उसके निगमन के पहले कोई संविदा कम्पनी के प्रयोजन के लिए की हो और संविदा ऐसी हो जो निगमन के निबन्धनों द्वारा समर्थित हो, तब वह कम्पनी : परन्तु यह तब जब कि कम्पनी ने संविदा को प्रतिगृहीत कर लिया हो और संविदा के दूसरे पक्षकार को ऐसा प्रतिग्रहण संसूचित कर दिया हो ।

(d) when a company has entered into a contract and subsequently becomes amalgamated with another company, the new company which arises out of the amalgamation;

(e) when the promoters of a company have, before its incorporation, entered into a contract for the purpose of the company and such contract is warranted by the terms of the incorporation, the company:

Provided that the company has accepted the contract and communicated such acceptance to the other party to the contract.



राजस्थान

APO

तैयार हो जाओ

Exclusive Batch For APO Main Exams

Ummeed है तो Judiciary है

- All Major, Minor & Local Laws
- Hindi & English
- Test Series
- PYQs practice

#Judiciary

By Arindam Sir

एक ही प्रयास में कैसे सफल हों

#Judiciary

By Poonam Sha



संविदाओं का प्रतिस्थापित पालन, आदि

Substituted performance of contract, etc.

(20-24)

UMMEED
LAW CLASSES





20. संविदा का प्रतिस्थापित पालन.

(1) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) में, अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और उसके सिवाय, जिस पर पक्षकार सहमत हैं, जहां संविदा किसी पक्षकार के वचन का पालन नहीं करने के कारण टूट जाती है, वहां वह पक्षकार, जो ऐसे भंग से पीड़ित होता है, किसी तीसरे पक्षकार के माध्यम से या अपने स्वयं के अभिकरण द्वारा प्रतिस्थापित पालन का और ऐसा भंग करने वाले पक्षकार से उसके द्वारा वास्तविक रूप से उपगत, व्ययनित या भुगते गए व्ययों और अन्य खर्चों को वसूल करने का, विकल्प रखेगा।



20. Substituted performance of contract. (1) Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Indian Contract Act, 1872 (9 of 1872), and, except as otherwise agreed upon by the parties, where the contract is broken due to non-performance of promise by any party, the party who suffers by such breach shall have the option of substituted performance through a third party or by his own agency, and, recover the expenses and other costs actually incurred, spent or suffered by him, from the party committing such breach.





(2) उपधारा (1) के अधीन संविदा का कोई भी प्रतिस्थापित पालन तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसे पक्षकार ने, जो ऐसे भंग से पीड़ित है, भंग करने वाले पक्षकार को तीस दिन से अन्यन का लिखित में एक नोटिस, उससे ऐसे समय के भीतर संविदा का पालन करने के लिए कहते हुए, जो उस नोटिस में विनिर्दिष्ट हो, नहीं दे देता हो और उसका ऐसा करने से इन्कार करने या ऐसा करने में असफल रहने पर वह उसका पालन किसी तीसरे पक्षकार द्वारा या अपने स्वयं के अभिकरण द्वारा कराएगा :

(2) No substituted performance of contract under sub-section (1) shall be undertaken unless the party who suffers such breach has given a notice in writing, of not less than thirty days, to the party in breach calling upon him to perform the contract within such time as specified in the notice, and on his refusal or failure to do so, he may get the same performed by a third party or by his own agency:





परंतु वह पक्षकार, जो ऐसे भंग से पीड़ित है, उपधारा (1) के अधीन व्ययों और खर्चों को वसूल करने का हकदार तब तक नहीं होगा, जब तक उसने किसी तीसरे पक्षकार के माध्यम से या अपने स्वयं के अभिकरण द्वारा संविदा का पालन न करा लिया हो।

Provided that the party who suffers such breach shall not be entitled to recover the expenses and costs under sub-section (1) unless he has got the contract performed through a third party or by his own agency.

UMMEED
LAW CLASSES





(3) जहां संविदा के भंग से पीड़ित पक्षकार ने उपधारा (1) के अधीन नोटिस देने के पश्चात् किसी तीसरे पक्षकार के माध्यम से या अपने स्वयं के अभिकरण द्वारा संविदा का पालन करा लिया है, वहां वह भंग करने वाले पक्षकार के ~~विरुद्ध~~ विनिर्दिष्ट पालन के अनुतोष का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

(4) इस धारा की कोई बात उस पक्षकार को, जो संविदा के भंग से पीड़ित है, भंग करने वाले पक्षकार से प्रतिकर का दावा करने से निवारित नहीं करेगा।

(3) Where the party suffering ~~breach~~ of contract has got the contract performed through a third party or by his own agency after giving notice under sub-section (1), he shall not be entitled to claim relief of specific performance against the party in breach.

(4) Nothing in this section shall prevent the party who has suffered breach of contract from claiming compensation from the party in breach.





20क. अवसंरचना परियोजना से संबंधित संविदा के लिए विशेष उपबंध -

(1) इस अधिनियम के अधीन किसी वाद में अनुसूची में विनिर्दिष्ट अवसंरचना परियोजना से संबंधित संविदा में न्यायालय द्वारा कोई भी व्यादेश वहां मंजर नहीं किया जाएगा, जहां व्यादेश को मंजरी से ऐसी अवसंरचना परियोजना की प्रगति या पूरा होने में कोई अड़चन आती हो या विलंब होता हो।

20A. Special provisions for contract relating to infrastructure project -

(1) No injunction shall be granted by a court in a suit under this Act involving a contract relating to an infrastructure project specified in the Schedule, where granting injunction would cause impediment or delay in the progress or completion of such infrastructure project.





स्पष्टीकरण - इस धारा, धारा 20ख और धारा 41 के खंड (जक) के प्रयोजनों के लिए, "अवसंरचना परियोजना" पद से अनुसूची में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं और अवसंरचना उप सेक्टरों के प्रवर्ग अभिप्रेत हैं।

(2) केन्द्रीय सरकार अवसंरचना परियोजनाओं की उभरती धारणा की अत्यावश्यकता पर निर्भर करते हुए और यदि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझती है, तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा परियोजनाओं और अवसंरचना उप सेक्टरों के प्रवर्ग से संबंधित अनुसूची को संशोधित कर सकेगी।

Explanation - For the purposes of this section, section 20B and clause (ha) of section 41, the expression "infrastructure project" means the category of projects and infrastructure Sub-Sectors specified in the Schedule.

(2) The Central Government may, depending upon the requirement for development of infrastructure projects, and if it considers necessary or expedient to do so, by notification in the Official Gazette, amend the Schedule relating to any Category of projects or Infrastructure Sub-Sectors.





(3) इस अधिनियम के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना को केन्द्रीय सरकार द्वारा, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की कुल अवधि के लिए रखे जाएंगे, जो एक सत्र या दो या अधिक उत्तरवर्ती सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि पूर्वांकित सत्र या उत्तरवर्ती सत्र के ठीक पश्चात् वाले सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, अधिसूचना में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत होते हैं या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हैं कि ऐसी अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए, तो तत्पश्चात् अधिसूचना, यथास्थिति, ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगी या निष्प्रभाव हो जाएगी; तथापि अधिसूचना के ऐसे उपांतरित या निष्प्रभाव होने से उस अधिसूचना के अधीन पहले से की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(3) Every notification issued under this Act by the Central Government shall be laid, as soon as may be after it is issued, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the notification or both Houses agree that the notification should not be made, the notification shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that notification.





20ख. विशेष न्यायालय - *इनॉट*

राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा एक या अधिक सिविल न्यायालयों को अवसंरचना परियोजनाओं से संबंधित संविदाओं की बाबत अधिकारिता के प्रयोग के क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर और इस अधिनियम के अधीन वाद का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों के रूप में अभिहित करेगी।

20B. Special Courts - *इनॉट*

The State Government, in consultation with the Chief Justice of the High Court, shall designate, by notification published in the Official Gazette, one or more Civil Courts as Special Courts, within the local limits of the area to exercise jurisdiction and to try a suit under this Act in respect of contracts relating to infrastructure projects.





20ग. वादों का शीघ्र निपटारा -

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपलब्धों के अधीन फाइल किए गए किसी वाद का निपटारा न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को समन की तामील से बाहर मास की अवधि के भीतर किया जाएगा :

परन्तु उक्त अवधि को न्यायालय द्वारा ऐसी अवधि को बढ़ाने के लिए कारण लेखबद्ध करने के पश्चात कुल मिलाकर छह मास से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

20C. Expedited disposal of suits -

Notwithstanding anything contained in the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), a suit filed under the provisions of this Act shall be disposed of by the court within a period of twelve months from the date of service of summons to the defendant:

Provided that the said period may be extended for a further period not exceeding six months in aggregate after recording reason in writing for such extension by the court.





21. कितिपय दशाओं में प्रतिकर अधिनिर्णीत करने की शक्ति -

(1) किसी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के वाद में वादी, ऐसे पालन के या तो अतिरिक्त या स्थान पर उसके भंग के लिए प्रतिकर का भी दावा कर सकेगा।

(2) यदि किसी ऐसे वाद में, न्यायालय यह विनिश्चय करे कि विनिर्दिष्ट पालन तो अनुदत्त नहीं किया जाना चाहिए किन्तु पक्षकारँ के बीच ऐसी संविदा है जो प्रतिवादी द्वारा भंग की गई है और वादी उस भंग के लिए प्रतिकर पाने का हकदार है, तो वह उसे तदनुसार वैसा प्रतिकर दिलाएगा।

21. Power to award compensation in certain cases.-

(1) In a suit for specific performance of a contract, the plaintiff may also claim compensation for its breach, either in addition to, or in substitution of, such performance.

(2) If, in any such suit, the court decides that specific performance ought not to be granted, but that there is a contract between the parties which has been broken by the defendant, and that the plaintiff is entitled to compensation for that breach, it shall award him such compensation accordingly.





(3) यदि किसी ऐसे वाद में, न्यायालय यह विनिश्चय करे कि विनिर्दिष्ट पालन तो अनुदत्त किया जाना चाहिए किन्तु उस मामले में न्याय की तष्ठि के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है और संविदा के भंग के लिए वादी को कुछ प्रतिकर भी दिया जाना चाहिए तो वह तँदनुसार उसको ऐसा प्रतिकर दिलाएगा।

(4) इस धारा के अधीन अधिनिर्णीत किसी प्रतिकर की रकम के अवधारण में न्यायालय, भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 73 में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगा।

(3) If, in any such suit, the court decides that specific performance ought to be granted, but that is not sufficient to satisfy the justice of the case, and that some compensation for breach of the contract should also be made to the plaintiff, it shall award him such compensation accordingly.

(4) In determining the amount of any compensation awarded under this section, the court shall be guided by the principles specified in section 73 of the Indian Contract Act, 1872 (9 of 1872).





(5) इस धारा के अधीन कोई प्रतिकर नहीं दिलाया जाएगा जब तब कि वादी ने अपने वादपत्र में ऐसे प्रतिकर का दावा न किया हो :

परन्तु जहां वादपत्र में वादी ने किसी ऐसे प्रतिकर का दावा न किया हो वहां न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में वादी को वादपत्र में ऐसे प्रतिकर का दावा अन्तर्गत करने के लिए संशोधित करने की अनुज्ञा ऐसे निबन्धनों पर देगा जैसे न्यायसंगत हों।

स्पष्टीकरण - यह परिस्थिति कि संविदा विनिर्दिष्ट पालन के अयोग्य हो गई है न्यायालय को इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकारिता के प्रयोग से प्रवारित नहीं करती।

(5) No compensation shall be awarded under this section unless the plaintiff has claimed such compensation in his plaint:

Provided that where the plaintiff has not claimed any such compensation in the plaint, the court shall, at any stage of the proceeding, allow him to amend the plaint on such terms as may be just, for including a claim for such compensation.

Explanation.-The circumstance that the contract has become incapable of specific performance does not preclude the court from exercising the jurisdiction conferred by this section.



RJS Pre Exams 2024



चंद्रपान TEST SERIES

Law + Language

With Detailed Video Solutions

पेपर से पहले 100 बार पेपर जैसी तैयारी

100
TEST
SERIES

हृष्ट परीक्षा पैटर्न पर आधारित



#judiciary

By Poonam Sha



22. कब्जे, विभाजन, अग्रिम धन के प्रतिदाय, इत्यादि के लिए अनुतोष के अनुदान की शक्ति -


(1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में किसी तत्प्रतिकूल बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण की संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का वाद लाने वाला कोई व्यक्ति, समुचित मामले में -

(क) ऐसे पालन के अतिरिक्त सम्पत्ति का कब्जा या विभाजन और पृथक् कब्जा मांग सकेगा ; या

22. Power to grant relief for possession, partition, refund of earnest money, etc.-

(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), any person suing for the specific performance of a contract for the transfer of immovable property may, in an appropriate case, ask for-

(a) possession, or partition and separate possession, of the property, in addition to such performance; or





(ख) उस दशा में जिसमें कि उसका विनिर्दिष्ट पालन का दावा नामंजूर कर दिया गया हो कोई भी अन्य अनुतोष, जिसका वह हकदार हो और जिसके अन्तर्गत उस द्वारा दिए गए किसी अग्रिम धन या निक्षेप का प्रतिदाय भी आता है, मांग सकेगा।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन कोई भी अनुतोष न्यायालय द्वारा अनुदत्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका विनिर्दिष्ट दावा न किया गया हो :

(b) any other relief to which he may be entitled, including the refund of any earnest money or deposit paid or [made by] him, in case his claim for specific performance is refused.

(2) No relief under clause (a) or clause (b) of sub-section (1) shall be granted by the court unless it has been specifically claimed:





परन्तु जहां कि वादपत्र में वादी ने किसी ऐसे अनुतोष का दावा न किया हो वहां न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में वादी को वादपत्र में ऐसे अनुतोष का दावा अन्तर्गत करने के लिए संशोधन करने की अनुज्ञा ऐसे निबन्धनों पर देगा जैसे न्यायसंगत हों।
 (3) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अनुतोष अनुदत्त करने की न्यायालय की शक्ति धारा 21 के अधीन प्रतिकर देने की उसकी शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

Provided that where the plaintiff has not claimed any such relief in the plaint, the court shall, at any stage of the proceeding, allow

(3) The power of the court to grant relief under clause (b) of sub-section (1) shall be without prejudice to its powers to award compensation under section 21.






23. नुकसानी का परिनिर्धारण विनिर्दिष्ट पालन के लिए वर्जन नहीं -

(1) जिस संविदा का विनिर्दिष्टतः प्रवर्तन अन्यथा उचित हो, यद्यपि उसके भंग की दशा में संदेय रकम के तौर पर कोई राशि उसमें नामित हो और व्यतिक्रम करने वाला पक्षकार उसे देने के लिए रजामन्द हो तथापि उसका ऐसे प्रवर्तन किया जा सकेगा, यदि न्यायालय का संविदा के निबन्धनों और अन्य विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समाधान हो जाए कि वह राशि केवल संविदा के पालन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से हो नामित है, न कि व्यतिक्रम करने वाले पक्षकार को यह विकल्प देने के प्रयोजन से कि वह विनिर्दिष्ट पालन के स्थान पर धन का संदाय कर सके।

23. Liquidation of damages not a bar to specific performance.-

(1) A contract, otherwise proper to be specifically enforced, may be so enforced, though a sum be named in it as the amount to be paid in case of its breach and the party in default is willing to pay the same, if the court, having regard to the terms of the contract and other attending circumstances, is satisfied that the sum was named only for the purpose of securing performance of the contract and not for the purpose of giving to the party in default an option of paying money in lieu of specific performance.






(2) इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट पालन का प्रवर्तन करते समय, न्यायालय संविदा में ऐसी नामित राशि के संदाय की भी डिक्री नहीं करेगा।

(2) When enforcing specific performance under this section, the court shall not also decree payment of the sum so named in the contract.



UMMEED
LAW CLASSES





24. विनिर्दिष्ट पालन के बाद के खारिज होने के पश्चात् भंग के लिए प्रतिकर के बाद का वर्जन -

किसी संविदा के या उसके किसी भाग में विनिर्दिष्ट पालन के बाद की खारिजी, यथास्थिति, ऐसी संविदा या उसके भाग के भंग के लिए प्रतिकर का बाद लाने के बादी के अधिकार का वर्जन कर देगी किन्तु किसी अन्य ऐसे अनुत्तोष के लिए वाद लाने के उसके अधिकार का वर्जन नहीं करेगी जिसका वह ऐसे भंग के कारण हकदार होगा ।

24. Bar of suit for compensation for breach after dismissal of suit for specific performance.- T.

The dismissal of a suit for specific performance of a contract or part thereof shall bar the plaintiff's right to sue for compensation for the breach of such contract or part, as the case may be, but shall not bar his right to sue for any other relief to which he may be entitled, by reason of such breach.





व्यवस्थापनों के निष्पादन हेतु पंचाटों एवं निदेशों
का प्रवर्तन

**Enforcement of awards and directions to execute
settlements**

(25)

UMMEED
LAW CLASSES





25. व्यवस्थापनों के निष्पादन हेतु कतिपय पंचाटों एवं वसीयती निदेशों को पूर्ववर्ती धाराओं का लागू होना -
 इस अध्याय के संविदा विषयक उपबन्ध उन पंचाटों को जिन्हें माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 (1940 का 10) लागू नहीं होता, और विल या क्रोडपत्र के ऐसे निदेशों को, जो किसी विशिष्ट व्यवस्थापन को निष्पादित करने के बारे में हो लागू होंगे।

25. Application of preceding sections to certain awards and testamentary directions to execute settlements.-

The provisions of this Chapter as to contracts shall apply to awards to which the Arbitration Act, 1940 (10 of 1940), does not apply and to directions in a will or codicil to execute a particular settlement.

//



Thanks for Watching!

LIKE, COMMENT AND SHARE



Ummeed Classes
Ummeed Classes



Download



INDIA'S BEST

HINDI + ENGLISH

BATCH

ADMISSION OPEN

सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए

UMMEED
Classes.com



9269100222



By Poonam Sha

